स्त्री शिक्षा और आर्थिक स्वाधीनता का प्रश्न

कंचन कुमारी

सन् 1980 ई० से लेकर आज तक का समय अपने तमाम उतार-चढ़ावों के साथ समकालीन- कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् जिस तेजी से मानव मूल्यों एवं मान्यताओं के संक्रमण एवं संघर्ष तथा विमर्श के नए संदर्भ प्रकट हुए, उतने पहले कभी नहीं हुए थे । राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष तथा उसकी चेतना के विस्तार के साथ अन्य क्षेत्रों की तरह ही हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी कतिपय परिवर्तन हुए। हिन्दी कथा-लेखन के क्षेत्र में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समक्ष अग्रिम पंक्ति में आ खड़ी हुई। पहले केवल पुरुषों की दृष्टि से ही समाज व जीवन को परखा जा रहा था किन्तु लेखिकाओं के इस क्षेत्र में पदार्पण से पुरूषों का एकाधिकार कतिपय विचलित हुआ।

महिला- लेखन की धारा का संबंध आधुनिक काल की स्थितियों और नारीवादी विचारधारा से है। स्त्रियों की आत्म निर्भरता जैसे - जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे विवाह व परिवार के सामाजिक नियंत्रण कमजोर होते गये। उन्होंनें इन संरचनाओं के भीतर अपने स्वत्व की मांग उठाई किन्तु यह उपलब्धि इतनी सरल नहीं थी। सामान्य पुरुष इस बदलते हुए शक्ति संतुलन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था जिसका परिणाम हुआ नारी-पुरुष सम्बन्धों में तनाव। इसके अतिरिक्त, कामकाजी महिलाओं ने देखा कि हर स्तर पर पुरुष वर्ग उनके शोषण का प्रयास करता है। इसलिए कार्यालय में होने वाला यौन शोषण व मानसिक तनाव भी इन उपन्यासों का हिस्सा बन गया। नारीवादी विचारधारा के इस विचार के प्रति इस धारा में सहमति दिखती है कि नारी की समस्याओं को प्रमाणिक रूप से नारी ही समझ सकती है क्यों कि प्रामाणिक साहित्य, संवेदना से नहीं, स्वयंवेदना से लिखा जाता है।

स्त्री शिक्षा:- वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा - संबंधी व्यवस्था उन्नत थी। वह पुरुषों के समकक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थीं। वह बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी। इस युग में पुत्र की तरह पुत्री का भी विद्यारम्भ से पूर्व उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था तथा वह भी ब्रम्हचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थीं। उसे यज्ञ-संपादन और वेदाध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था। सूत्रकाल से भी स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। गार्गी वाचवनवी वड़वा प्रतियेयी एवं सुलभा मैत्रेयी इन तीन शिक्षिकाओं को ऋषि रूप में संबोधित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन मिलता है कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी । महाभारत में माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु बताया गया है । अतः रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि विवाह के योग्य बनने के लिए अध्ययन की अनिवार्यता थी । वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे. एक द्योवधु और दूसरा ब्रम्हवादिनी । सद्योवधु वे छात्राएं थीं जो बिवाह के पूर्व तक कुछ वेद मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थीं तथा ब्रम्हवादिनी वे थीं जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थीं। इस प्रकार कुछ स्त्रियाँ जीवनपर्यन्त अध्ययन में लीन रहती थीं और विवाह नहीं करती । ऋषि कुशध्वज की कन्या बेदवती ऐसी ही ब्रम्हवादिनी स्त्री थी । अध्ययन के पश्चात् कुछ स्त्रियाँ अध्यापन का कार्य भी करती थीं। उपनिषदों में स्त्री शिक्षिकाओं का वर्णन है। शिक्षिकाओं को "उपाध्याया" कहा जाता था।

किन्तु धर्मशास्त्र– परम्परा में स्मृति ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नारी की शिक्षा प्राप्ति के अधिकार काहनन हुआ है। मनु और याज्ञवल्क्य की व्यवस्था ने स्त्रियों की शिक्षा को अत्यंत आघात पहुंचाया। इन्होंनें स्त्रियों को शुद्रों की श्रेणी में

रखा और उन्हें वेद आदि के अध्ययन से वंचित किया। मनु, गौतम आदि ने स्त्रियों को अस्वतंत्र माना है। मनु तथा याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों के विवाह-संस्कार को ही उपनयन रूप मानकर ही पति सेवा को ही गुरुकुल बना दिया। इस संबंध में मनु का कथन है कि पति ही आचार्य, बिवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही उसका आक्षम निवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान हैं। यहीं से ही स्त्रियों की परनिर्भरता का आरम्भ होता है।

स्त्री का अधिकार:- वैदिक काल में सम्पति बंटवारे के बारे में सुना गया, लेकिन निश्चित विधान नहीं था। फिर भी वैदिक युग में स्त्री का सम्पत्ति में अधिकार स्वीकार किया जाता था। चौथी सदी ई० पू० तक यह व्यवस्था समाज में प्रचलित थी किन्तु दूसरी सदी ई० पू० में आकर स्त्री- शिक्षा पर अनेक प्रतिबंध लग गये, जिनके कारण स्त्री का सम्पत्ति विषयक अधिकार भी क्षतिग्रस्त हुआ। इस प्रकार मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के विधान से आगे दौर चलता रहा। इस प्रकार प्राचीन काल हो या पूर्व मध्यकाल महिला अपने घर में पिछड़ गई- भाई के सामने, पति के घर में पति और पुत्र के सामने और निःसंतान रहने पर कुटुम्ब के सामने पिछड़ गई।

विवाह के दौरान या तत्काल बाद स्नेहवश सहायता को ध्यान में रखकर पिता, पति या कुटुम्ब द्वारा स्त्री को दी गयी चल या अचल सम्पत्ति जो स्त्री की है, उसे ही स्त्री धन कहा जाता है। मनु के मतानुसार जो कन्या को पति के घर जाते समय मिलता है-पिता, माता, भ्राता और पति द्वारा दिया हुआ, अग्नि की सन्निध में विवाह के समय कन्यादान के साथ प्राप्त तथा अधिवेदन के निमित्त मिला हुआ धन, विवाह होने के बाद प्रीतिपूर्वक साला, श्वसुर आदि से प्रादवन्दन आदि प्रथा में स्त्री को प्राप्त होता है, वह सभी स्त्री धन कहा जाता था। यही स्त्री की सम्पत्ति अधिकार हुआ करते थे। समाज में ऐसी भी स्त्रियों का वर्ग था जो पति की अनुपस्थिति में सच्चरित्रता और सदाचरण के साथ रहती थीं। अत: प्रोषितपतिका वह स्त्री कही जाती थीं जो अपने विदेश गए पति द्वारा की गई व्यवस्था पर उनका भरण-पोषण करती थीं। स्त्रीयों की भूमिका पतिव्रता पत्नी एवं समर्पित माता के रूप में सीमित हो गई।

स्त्री समाज में परिवर्तन:- भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से इस क्षेत्र में कुछ सुधारात्मक आंदोलन हुए और परिवर्तन आने प्रारंभ हुए। स्त्रीयों की स्थिति में सुधार के प्रयास सरकार के स्तर पर स्वतंत्रता पूर्व ही आरम्म हो गए थे। सबसे पहले 19 वीं शताब्दी में कानून बनाए गए, जिसमें सतीप्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, कानूनी विवाह अधिनियम 1872 सम्मिलित है। स्त्रीयों को विकास की अविरल धारा में समाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए, उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसरित करने जैसे अहम् उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ वर्षों में अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने देश की सामाजिक संरचना में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया है। संविधान के अनुच्छेद-15 के अनुसार लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद-16 में की गई व्यवस्था के अनुसार लोकसेवाओं में स्त्री एवं पुरुष को बिना किसी भेद के अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद-19 में सभी को अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद अनुच्छेद-39 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह महिलाओं एवं पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त एवं समान

मानदेय का प्रबंध करेगा। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक-आर्थिक कल्याण के साथ साथ महिलाओं से संबंधित निर्देश भी देते हैं।

पाश्चात्य विचारक कार्ल मार्क्स का भी मानना है कि- "किसी समाज की प्रगति जानना हो तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति जानिए। महिलाओं का उत्थान तभी होगा जब उन्हें कामकाजी बनाया जाए।" शिक्षा एवं रोजगार ने स्त्री की स्थिति में बदलाव हेतु अनुकूल परिस्थितियों को जन्म दिया। 'द सेकेण्ड सेक्स' नामक पुस्तक की लेखिका सिमोन द बोउआर ने लिखा है- "मतदान और अन्य तमाम नागरिक अधिकारों के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में स्त्री की स्वतंत्रता अमूर्त और सैद्धांतिक रह जाती है। पुरुष पर अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की स्थिति में स्त्री अपनी किसी भी भूमिका में स्वावलम्बी नहीं हो पाती। अर्थ ही व्यक्ति को वह अधिकार देता है जिसके द्वारा वह अपनी परियोजनाएं पूरी कर सके।"

निष्कर्ष:- हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई वास्तव में स्वतंत्रता इच्छुक है तो आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। स्त्री के स्वयं के अस्तित्व के बोध के लिए स्त्री का आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। आज तमाग नौकरी-पेशा महिलाओं ने उसी के माध्यम से अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्मित किया है। स्त्री शिक्षा का मूल उद्देश्य है- आर्थिक स्वाधीनता या आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के अभाव में स्त्री परिवार में शोषित वर्ग की स्थिति में रहती है। स्त्री उपन्यासकारों ने इस सत्य का विशेष रूप से उद्घाटन किया है। "श्रृंखला की कड़ियाँ" पुस्तक में महादेवी वर्मा ने लिखा भी है - यदि उन्हें अर्थ सम्बन्धी वे सुविधाएँ प्राप्त हो सकें जो पुरुषों को मिलती आ रही हैं तो न उनका जीबन उनके निष्ठुर कुटुम्बियों के लिए भार बन सकेगा और न वे गलित अंग के समान समाज से निकलकर फेंकी जा सकेंगी, प्रत्यूत वे अपने शून्य क्षणों को देश के सामाजिक तथा राजनीतिक उत्कर्ष के प्रयत्नों से भर कर सुखी रह सकेंगी।

सहायक प्राध्यापक-हिन्दी

श्री राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय, सीतामढ़ी, बिहार